## ORDER - SHEET Case no 74 of/2017

| Date of Order or proceeding with Signature of presiding  09.12.2017  प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में पेश   अपीलार्थी विष्णु अग्रवाल सहित श्री पी.के. वर्मा अधिवक्ता उपस्थित   प्रत्यर्थी शिवचरनलाल गुप्ता सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित   प्रत्यर्थी शिवचरनलाल गुप्ता सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित   अभ्ययक्ष की ओर से प्रकरण में राजीनामा करने का आवेदन तथा इंकेट एवं आवेदनपत्र का फॉर्म भरकर प्रस्तुत किया गया   अभ्यवत्त विष्णु अग्रवाल की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उसको व्यवसाय में काफी छित हुई है और वह समझौता राशि जमा करने की स्थिति में नहीं है । समझौता राशि माफ किये जाने की प्रार्थना की गयी है । सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि प्रकरण में राजीनामा हो रहा है । अतः वैक की कुल राशि पांच लाख रुपए के 15 प्रतिशत की राशि में से 13.5 प्रतिशत की राशि तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा नेशलन लोक अदालत को लेखते हुए माफ की जाती है । परंतु 1.5 प्रतिशत की समझौता राशि 7500 रुपए की राशि जमा कराये । प्रकरण पुनः पेश हो ।  (मीहम्मद अजहर) पीठान्यीन अधिकारी लोक अदालत खण्डपीट क. 20 पुनश्चः अभियुक्त की ओर से 7600 रुपए की राशि जमा करायी गयी । राजीनामा को संबंध में शिवचरनलाल गुप्ता के कथन लिये गये । राजीनामा हो पुया है और अभियुक्त के द्वारा परिवाद में संपूर्ण राशि अदा कर दी गयी है । अभियुक्त को श्री पी.के. वर्मा अधिवक्ता ने पहचाना है । अतः राजीनामा विधिवत प्रकट होता है । राजीनामा तिधिवत प्रकट होता है । राजीनामा तिधिवत प्रकट होता है । राजीनामा तिधिवत प्रकट होता है । | Case 110 74 01/2017 |   |                              |
|--|---------------------|---|------------------------------|
| प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में पेश। अमीलार्थी विष्णु अग्रवाल सहित श्री पी.के. वर्मा अधिवक्ता उपस्थित। प्रत्थर्थी शिवचरनलाल गुप्ता सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष की ओर से प्रकरण में राजीनामा करने का आवेदन तथा डॉकेट एवं आवेदनपत्र का फॉर्म भरकर प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त विष्णु अग्रवाल की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उसको व्यवसाय में काफी छिति हुई है और वह समझौता राशि जमा करने की स्थिति में नहीं है। समझौता राशि माफ किये जाने की प्रर्थना की गयी है। सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि प्रकरण में राजीनामा हो रहा है। अतः चैक की कुल राशि पांच लाख रुपए के 15 प्रतिशत की राशि में से 13.5 प्रतिशत की राशि तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा नेशलन लोक अदालत को देखते हुए माफ की जाती है। परंतु 1.5 प्रतिशत की समझौता राशि 7500 रुपए की राशि जमा कराये। प्रकरण पुनः पेश हो।  (मोहम्मद अजहर) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत खण्डपीठ क. 20 पुनश्चः अमियुक्त की ओर से 7500 रुपए की राशि जमा करायी गयी। राजीनामा के संबंध में शिवचरनलाल गुप्ता के कथन लिये गये। राजीनामा के संबंध में शिवचरनलाल गुप्ता के कथन किये गये। राजीनामा हो पया है और अभियुक्त के हारा परिवाद में संपूर्ण राशि अदा कर दी गयी है। अभियुक्त को श्री पी.के वर्मा अधिवक्ता ने पहचाना है और प्रत्थी शिवचरनलाल गुप्ता को श्री प्रवीण गुप्ता ने पहचाना है और प्रत्थी शिवचर प्रकट होता है।  | Order or            | Order or proceeding with Signature of presiding   | Parties or<br>Pleaders where |
|  | 09.12.2017          | अपीलार्थी विष्णु अग्रवाल सहित श्री पी.के. वर्मा अधिवक्ता उपस्थित।  प्रत्यर्थी शिवचरनलाल गुप्ता सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित।  उभयपक्ष की ओर से प्रकरण में राजीनामा करने का आवेदन तथा डॉकेट एवं आवेदनपत्र का फॉर्म भरकर प्रस्तुत किया गया।  अभियुक्त विष्णु अग्रवाल की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उसको व्यवसाय में काफी छति हुई है और वह समझौता राशि जमा करने की स्थिति में नहीं है। समझौता राशि माफ किये जाने की प्रार्थना की गयी है। सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि प्रकरण में राजीनामा हो रहा है। अतः चैक की कुल राशि पांच लाख रुपए के 15 प्रतिशत की राशि में से 13.5 प्रतिशत की राशि तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा नेशलन लोक अदालत को देखते हुए माफ की जाती है। परंतु 1.5 प्रतिशत की समझौता राशि 7500 रुपए की राशि जमा कराये। प्रकरण पुनः पेश हो।  (मोहम्मद अजहर) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत खण्डपीठ क. 20 पुनश्चः  अभियुक्त की ओर से 7500 रुपए की राशि जमा करायी गयी। राजीनामा के संबंध में शिवचरनलाल गुप्ता के कथन लिये गये। राजीनामा पर विचार किया गया। उभयपक्ष ने व्यक्त किया है कि उनके मध्य राजीनामा हो गया है और अभियुक्त के द्वारा परिवाद में संपूर्ण राशि अदा कर दी गयी है। अभियुक्त को श्री पी.के. वर्मा अधिवक्ता ने पहचाना है। अतः राजीनामा विधिवत प्रकट होता है। | STATED                       |

गया। उक्त राजीनामा के आधार पर अपीलार्थी और अभियुक्त मै0 सिंघल ट्रेडिंग कंपनी, मुरैना द्वारा विष्णु अग्रवाल के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जाती है, जिसका परिणाम इस प्रकरण के आधार पर 1387 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत अभियुक्त विष्णु अग्रवाल की दोषमुक्ति होगी।

उभयपक्ष ने व्यक्त किया कि विचारण न्यायालय में समझौता 1,77,500 / - रुपए की राशि जमा है। उक्त राशि विचारण न्यायालय के द्व ारा परिवादी शिवचरनलाल गुप्ता के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर उसे वापिस दी जावे। 🤏 🌠

उपरोक्त राजीनामा के आधारा पर मूल अभिलेख प्रकरण क्रमांक 558 / 11 उनवान मैं0 गांगिल ट्रैडिंग कंपनी गोहद बनाम मैं0 सिंघल ट्रैडिंग कंपनी मुरैना में की गयी अभियुक्त शिवचरनलाल गुप्ता के आधार पर 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के तहत की गयी दोषसिद्धि एवं दण्डादेश अपास्त किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रैट प्रथम श्रेणी गोहद की ओर आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित की जावे।

अतः आदेश की प्रति पक्षकारों को निशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण का नतीजा दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

20 Tell and a state of the stat (महेशचन्द्र श्रीवास्वत) (पृष्पराज सिंह गुर्जर) सदस्य

(मोहम्मद अजहर)